रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III —Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2015/माघ 29, 1936
No. 55] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2015/MAGHA 29, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली,17 फरवरी, 2015

फा. सं. 1–83 एल/एस सी आई–पी ए एन– अधि./एफ एस एस ए आई–2012.–खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) (संशोधन) विनियम, 2013 का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. 1–83/एस सी आई.–पी ए एन– अधि/एफ एस एस ए आई–2012, तारीख 16 मई, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग III, खंड 4 मे प्रकाशित किये गये थे जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गईं थी, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुक्षाव मांगे गये थे,

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 22 अगस्त, 2013 को जनता को उपलब्ध करवा दी गईं थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप–धारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनता है, अर्थात्:–

विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) (संशोधन) विनियम, 2015 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2011 के, विनियम 2.4.5 में,-

(क) उपविनियम (43) में, 'डबल रोटी और केकों' शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा-

"योगहर्ट, मौजे, स्प्रेडस, डेयरी आधारित पेय (मिल्कशेक, योगहर्ट पेय) चीज, पुडिंग, क्रीम और आईस-क्रीम; शीतित डेजर्ट जैसे गैर डेयरी आईस, सोरबट और फल आईस, शीतित योगहर्ट, फ्लेक्स और खाने के लिए तैयार सूखे अनाज का नाश्ता, चॉकलेटो और मिठाइयों; और कार्बोहाइड्रेट आधारित और दुग्ध उत्पाद आधारित मिठाइयां जैसे हलवा, मैसूर पाक, बूंदी लड्डू, जलेबी, खोया

बर्फी, पेड़ा गुलाब जामुन, रसगुल्ला और इसी प्रकार किसी भी नाम से बेची जाने वाली दुग्ध आधारित मिठाईयों, पका हुए सोसेजीस, हाम और मांसीय स्प्रेडस" ;

(ख) उपविनियम (47) के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"48. पौध स्टेनोल ऐस्टेट को अंर्तविष्ट करने वाले वसा स्प्रेड, दुग्ध उत्पाद, दुग्ध आधारित फलों को पेय, क्रीम वित दुग्ध उत्पाद, सोया और राइस पेय (मांड), चीज उत्पादों, योगहर्ट उत्पादों, स्पाईस सोसेज, सलाद ड्रेसिंग, रस और नेक्टर के प्रत्येक पैकेज में निम्नलिखित घोषणाएं रहेंगी, अर्थात्-

- पौध स्टेनोल एस्टेट में अंतर्विष्ट (पौध स्टेनोल के रूप में)-ग्राम/100 ग्राम या 100 मि.ली.।
- कोलेस्ट्रोल को कम करने वाली दवा का सेवन करने वाले रोगीओं को, केवल चिकित्सीय पर्यवेक्षण के अधीन उत्पादों का उपयोग करना चाहिए।
- गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली स्त्रियां और पांच वर्ष से कम आयु के बालकों के लिये पौष्टिक रूप से समुचित नहीं है।
- प्रतिदिन 3 ग्राम से अधिक, कुल स्टेरोल, स्टेनोल या उसके मिश्रण से बचना चाहिए

(49). बिस्किटो, डबलरोटी, केकों, नाश्ते के अनाजो, कार्बनीकृत जल, तापीय प्रसंस्कृत फलों, फलों के रस, फलों के नेक्टर, फलों के पेयों, फलों के स्क्वाश, जैम, जैली, फलों के चीज, मारमलेड, डेयरी आधारित पेयों, दुग्ध पाउडर कार्बोहाइड्रेट आधारित और दुग्ध उत्पाद आधारित मिठाईयों जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेड़ा, खोया बर्फी, मैक्रोनी उत्पादों, नूडल्स, पास्ता, मिठाइयों और कन्फेक्शनरी, कैण्डीज़ और आईसींग के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् :—

ट्रीहलोज अंतर्विष्ट".

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/ असा./187-ओ/14]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक 2-15015/30/2010, 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 4/15 015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013 द्वारा अंतिम संशोधन उन का किया गया ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2015

F. No. 1-83L/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) (Amendment) Regulations, 2013, were published as required under sub- section (1) of Section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number No. 1-83/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated the 16th May, 2013 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 22nd August, 2013;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub- section (2) of Section 92 read with Section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, namely:-